# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा
## जिला – कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 1368 / स्था.02 / 2026 कोरबा दिनांक 30/05/2026

### / / आदेश / /

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / उपुअ / ए. सी.बी. / एम.टी. / Q2 / 2026, कैम्प तुमान, दिनांक 29.05.2026 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एसीबी / ईओडब्ल्यू इकाई, बिलासपुर के अपराध क्रमांक 0 / 2026, धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 के मामले में दिनांक 29.05.2026 को आरोपी श्री प्रदीप मिश्रा, सहायक ग्रेड–02, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा को प्रार्थी श्री अमृत बघेल से रिश्वत की रकम 40,000 / – रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उक्त अपराध धारा के मामले में श्री प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया है। श्री प्रदीप मिश्रा का उक्त कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत है।

अतः श्री प्रदीप मिश्रा, सहायक ग्रेड–02 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
30/05/2026
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1369 / स्था.02 / 2026 कोरबा दिनांक 30/05/2026

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
02. सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
03. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा / कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. संबंधित श्री प्रदीप मिश्रा, निलंबित सहायक ग्रेड 02, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
30/05/2026
जिला–कोरबा (छ.ग.)

civilindia.in

Scanned with OKEN Scanner